अध्याय - IV संघ राज्य क्षेत्र
(वाणिज्यिक क्षेत्र)

दादरा एवं नागर हवेली संघ राज्य क्षेत्र

डीएनएच विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

4.1 डीएनएच विद्युत वितरण निगम लिमिटेड द्वारा विद्युत की खरीद एवं बिक्री

केन्द्रीय उत्पादन केन्द्रों से विद्युत के पर्याप्त आबंटन होने के बावजूद विद्युत आवश्यकताओं के अपर्याप्त निर्धारण के कारण कम्पनी विद्युत की खरीद करती रही। इसके अतिरिक्त पीपीए के खराब प्रबंधन के परिणामस्वरूप ₹ 371.30 करोड का परिहार्य अथवा अनियमित व्यय सहित ₹ 8.63 करोड़ की शास्ति की वसूली नही हुई। प्रतिभूति जमाओं, विद्युत कारक के लिए निर्धारित सीमा एवं क्षेत्रीय निरीक्षण की आवृति के संबंध में संयुक्त विद्युत नियामक आयोग विनियमों का गैर अनुपालन देखा गया था।

4.1.1 प्रस्तावना

भूतपूर्व संघ राज्य क्षेत्र दादरा एवं नागर हलेवी विद्युत विभाग (ईडी-डीएनएच) के असमूहन पर जुलाई 2012 में डीएनएच विद्युत वितरण निगम लिमिटेड़ (कम्पनी) को निगमित किया गया था। यूटी प्रशासन ने "दादरा एवं नागर हवेली विद्युत सुधार अंतरण योजना 2013" को अधिसूचित किया (मार्च 2013) तथा 1 अप्रैल 2013 से कम्पनी को ईडी-डीएनएच की परिसंपत्तियों एवं देयताओं सहित विद्युत व्यवसाय को हस्तांतरित किया। तदनुसार, कम्पनी संघ राज्य क्षेत्र दादरा एवं नागर हवेली (यूटी) की वितरण लाईसेंसी है तथा इसे संघ राज्य क्षेत्र में विद्युत के वितरण एवं आपूर्ति के लिए उत्तरदायित्व दिया गया है। कम्पनी ने 1,051 मैगावाट[1] की कुल संविदागत मांग के साथ 60,744 उपभोक्तओं सहित 1 अप्रैल 2013 से वाणिज्यिक प्रचालनों को प्रारंभ किया। 31 मार्च 2017 को, 1,228.20 मैगावाट की संविदागत मांग सहित 70,300 उपभोक्ता थे।

[1] एमडब्ल्यू-मेगावाट

लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित करने के लिए की गई थी कि क्या विद्युत की मांग उचित ढंग से निर्धारित की गई थी तथा क्या विद्युत का वितरण योजनागत था और दक्षता, प्रभावी रूप से एवं मितव्ययीरूप से किया गया था। लेखापरीक्षा 2013-14 से 2016-17 की अवधि के दौरान दीर्घकालिक विद्युत खरीद करारों (पीपीए), अल्पकालिक विद्युत खरीद की संवीक्षा, तथा बिलिंग,संग्रहण तथा मॉनीटरिंग में प्रचालन दक्षता की जांच, को कवर करती है।

4.1.2 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

4.1.2.1 विद्युत खरीद की योजना

कम्पनी के अपने आबद्ध उत्पादन संयंत्र नहीं है तथा यह एनटीपीसी लिमिटेड (एनटीपीसी), भारतीय परमाणु उर्जा निगम लिमिटेड (एनपीसीआईएल), रत्नगिरि गैस एवं विद्युत प्राइवेट लिमिटेड (आरजीपीपीएल) एवं एनटीपीसी-सेल विद्युत कम्पनी लिमिटेड (एनएसपीसीएल) तथा मैसर्स ईएमसीओ उर्जा लि. (ईएमसीओ) जैसी अन्य प्रावईट पार्टियों से विद्युत खरीदती है। आठ सीजीएस (एनटीपीसी, एनएसपीसीएल, तथा आरजीपीपीएल के छह जेनरेटिंग स्टेशन) तथा मैसर्स ईएमसीओ विद्युत लि. (मार्च 2013) के साथ मई 2003 से मई 2011 के दौरान दीर्घकालिक पीपीए किए गए थे।

(ए) विद्युत का पर्याप्त आवंटन होने के बावजूद ईएमसीओ से विद्युत की खरीद

31 मार्च 2017 को समाप्त पिछले चार वर्षों के दौरान उपभोक्ताओं की संख्या, विद्युत की कुल मांग (कनेक्टेड लोड तथा ठेकागत मांग) तथा उपलब्धता निम्नलिखित **तालिका 1** में दी गई है:

तालिका सं. 1: विद्युत आवंटन तथा विद्युत की मांग

क्रम सं.	विवरण	31 मार्च को			
		2014	2015	2016	2017
1.	सीजीएस तथा अन्य क्षेत्रों से आवंटन (एमडब्ल्यू)	930.45	899.00	871.00	911.00
2.	ईएमसीओ एनर्जी लिमिटेड के साथ पीपीए (एमडब्ल्यू)	200.00	200.00	200.00	200.00
3.	कुल विद्युत आवंटन (एमडब्ल्यू)	1130.45	1099.00	1071.00	1111.00
4.	उपभोक्ताओं से ठेकागत मांग (एमडब्ल्यू)	1051.52	1098.85	1122.54	1228.20
5.	औसत पीक मांग/रनिंग लोड (एमडब्ल्यू)	643.00	678.00	722.00	624.00
6.	अधिकतम पीक मांग (एमडब्ल्यू)	775.00	743.00	781.00	784.00
7.	औसत पीक मांग के अतिरिक्त विद्युत आवंटन की प्रतिशतता (प्रतिशत) {(क्र.सं. 1 - क्रम.सं. 5)x100/क्र.सं.5}	45	33	21	46

कंपनी ने सीजीएस से सभी चार वर्षों में अधिकतम पीक मांग से अधिक विद्युत का निश्चित आवंटन सुनिश्चित किया। सीजीएस तथा अन्य क्षेत्रों से आवंटन समान अवधि के दौरान औसत पीक मांग से 21 से 46 प्रतिशत अधिक था तथा विद्युत के इस आवंटन/उपलब्धता में किसी कमी को कुल निर्धारित विद्युत के 12 प्रतिशत तक अनिर्धारित इंटरचेंज (यूआई) से पूरा किया जा सका था। लेखापरीक्षा ने पाया कि पर्याप्त आवंटन के बावजूद ईडी-डीएनएच ने 1 अप्रैल 2013 से सात वर्ष तथा तीन माह की अवधि के लिए 200 एमडब्ल्यू विद्युत की खरीद हेतु मै. ईएमसीओ एनर्जी लि. के साथ विद्युत खरीद करार (पीपीए) किया था (21 मार्च 2013) और विद्युत खरीद हेतु उर्जा प्रभारों के रूप में ₹ 1,190.42 करोड़ के अलावा निश्चित प्रभारों के प्रति 2013-14 से 2016-17 के दौरान ₹ 1,564.03 करोड़ का भुगतान किया था।

प्रबंधन ने बताया (जून 2017) कि विद्युत का आवंटन क्षेत्र की मांग को देखते हुए रनिंग लोड से अधिक था क्योंकि प्रणाली में सभी संयंत्र अनिवार्य रूप से उपलब्ध नहीं थे और नियमित रूप से विद्युत उत्पादन नहीं कर रहे थे। कंपनी आवंटित विद्युत की पूरी मात्रा प्राप्त करने में असमर्थ थी तथा अधिक आहरण की अनुमति नहीं थी। खुले अभिगम के कारण विद्युत अधिशेष हुआ था जिसे 50-50 साझेदारी के आधार पर एनटीपीसी के माध्यम से बेचा गया था। आगे यह बताया गया कि डीएनएच के यूटी प्रशासन ने अधिशेष विद्युत को वापस करने के लिए विद्युत मंत्रालय से बात की है।

उत्तर मान्य नहीं है, क्योंकि सीजीएस से निश्चित विद्युत आवंटन को देखते हुए ईएमसीओ के साथ पीपीए करने का कोई औचित्य नहीं था और यह स्पष्ट था कि विद्युत की आवश्यकता के निर्धारण हेतु किसी वैज्ञानिक अध्ययन के बिना इसने पीपीए किया था।

(बी) क्षमता की उपलब्धता में कमी के लिए शास्ति का अनुदग्रहण

ईएमसीओ के साथ किए गए पीपीए (मार्च 2013) की अनुसूची 4 के खंड सं. 4.2.5 में उद्ग्रहीत की जाने वाली शास्ति का प्रावधान किया गया है यदि ठेका वर्ष हेतु विद्युत की उपलब्धता में 80 प्रतिशत कमी आती है और खंड 4.2.4 में 85 प्रतिशत से अधिक उपलब्धता के मामले में प्रोत्साहन का प्रावधान किया गया है। अभिलेखों की समीक्षा से पता चला कि ठेका वर्ष (अप्रैल 2013 से

मार्च 2014) के दौरान कंपनी ने ठेकागत क्षमता के रूप में ईएमसीओ द्वारा उपलब्ध कराई गई वास्तविक क्षमता को गलत रूप में माना था क्योंकि उपलब्धता कारक जुलाई 2013 में 67.26 प्रतिशत तथा नवंबर 2013 से मार्च 2014 के दौरान 45.90 से 55.04 प्रतिशत के वास्तविक उपलब्धता कारक के प्रति 99.16 प्रतिशत से 100 प्रतिशत के रूप में निकाला गया था। ठेका वर्ष अप्रैल 2013 से मार्च 2014 के दौरान ठेकागत क्षमता तथा कंपनी द्वारा अपनाई गई ठेकागत क्षमता के ब्यौरें निम्नलिखित **तालिका सं. 2** में दिए गए है:

तालिका सं. 2: कंपनी द्वारा अपनाई गई क्षमता और संविदात्मक क्षमता के ब्यौरे

क्र.सं.	अवधि	पीपीए (एमडब्ल्यू) के अनुसार संविदात्मक क्षमता	कंपनी द्वारा अपनाई गई संविदात्मक क्षमता (एमडब्ल्यू)
1.	अप्रैल 2013	100	100
2.	मई 2013	100	100
3.	जून 2013	100	100
4.	जुलाई 2013	150	101.75
5.	अगस्त 2013	150	150.00
6.	सितम्बर 2013	150	150.00
7.	अक्तूबर 2013	200	200.00
8.	नवम्बर 2013	200	101.94
9.	दिसम्बर 2013	200	91.66
10.	जनवरी 2014	200	91.10
11.	फरवरी 2014	200	110.09
12.	मार्च 2014	200	109.93

जुलाई 2013 और नवम्बर 2013 से मार्च 2014 में निर्धारित सीमा की तुलना में उपलब्ध क्षमता कम रही। इस प्रकार, ₹ 8.63 करोड़ का दंड लगाने के स्थान पर, कंपनी ने संविदात्मक क्षमता के गलत अवधारण के कारण ₹ 3.13 करोड़ के प्रोत्साहन का भुगतान किया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 8.63 करोड़ के दंड के अनुदग्रहण के साथ-साथ ₹ 3.13 करोड़ का अनियमित व्यय हुआ।

प्रबंधन ने बताया (मई 2017) कि ईएमसीओ, पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (पीजीसीआईएल) ट्रांसमिशन प्रणाली की बाधाओं के कारण पूर्ण मात्रा में विद्युत की आपूर्ति के लिए खुला अभिगम प्राप्त करने में सक्षम नहीं

था और कंपनी ने उस मात्रा में क्षमता प्रभारों का भुगतान नहीं किया था जिसके लिए पीजीसीआईएल द्वारा खुला अभिगम मंजूर नहीं किया गया था।

प्रबंधन का उत्तर संविदात्मक क्षमता के गलत अवधारण के विषय से अवगत नहीं कराता। इसके अतिरिक्त पीपीए के अनुसार, क्षमता प्रभारों के अलावा दंड का भुगतान ईएमसीओ द्वारा किया जाना था जो अनुपातिक आधार पर देय थे।

(सी) एनएसपीसीएल को क्षमता प्रभारों का परिहार्य भुगतान

कंपनी ने 100 मेगावॉट की खरीद के लिए एनटीपीसी-सेल पावर कंपनी लिमिटेड (एनएसपीसीएल) के साथ दीर्घावधि पीपीए किया था (अक्तूबर 2007)। दिसम्बर 2012 में, कंपनी ने अप्रैल 2013 से मार्च 2014 तक की अवधि के लिए अतिरिक्त 65.5 मेगा वॉट के लिए एक अनुपूरक समझौता (एसए) किया था। यद्यपि कंपनी को अतिरिक्त रूप से 40.5 मेगा वॉट के लिए पावर ग्रिड कार्पोरेशन लि. (पीजीसी आईएल) से मध्यम अवधि मुक्त अभिगम (एमटीओए) प्राप्त था, परन्तु कंपनी ने बकाया 25 मेगा वॉट की निकासी का प्रबन्ध सुनिश्चित किये बिना 65.5 मेगा वॉट के लिए अनुपूरक समझौता किया था। कंपनी द्वारा 25 मेगा वॉट के एमटीओए के लिए किया गया अनुरोध (दिसम्बर 2012) पीजीसीआईएल द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया था। इसके परिणामस्वरूप अप्रैल 2013 से फरवरी 2014 तक 25 मेगा वॉट विद्युत का आहरण नहीं हुआ और क्षमता प्रभारों के संबंध में ₹ 29.13 करोड़ का परिहार्य भुगतान हुआ।

प्रबंधन ने बताया (मई 2017) कि पीजीसीआईएल द्वारा एमटीओए के अस्वीकरण के विषय में एनएसपीसीएल को सूचित किया था और पश्चिम क्षेत्रीय पावर समिति (डब्ल्यूआरपीसी) की 64वी बैठक (मई 2013) में इस विषय पर चर्चा भी की गई थी। डब्ल्यूआरपीसी की स्थायी समिति ने बताया कि प्रभारों का भुगतान किया जाता है। सीईआरसी ने भी कंपनी की याचिका को (अक्तूबर 2013) खारिज कर दिया था। विद्युत के लिए अपील न्यायाधिकरण (एपीटीईएल) के पास कंपनी की अपील (दिसम्बर 2014) लम्बित थी (मई 2017)।

तथ्य यह है कि कंपनी ने अतिरिक्त 65.5 मेगा वॉट के लिए अनुपूरक समझौता करने से पहले एमटीओए की उपलब्धता के उचित निर्धारण में कमी के कारण ₹ 29.13 करोड़ का परिहार्य भुगतान किया।

(डी) एसटीओए की अनुचित संस्वीकृति के कारण कम निर्धारण[2]

गोवा राज्य के संयुक्त विद्युत नियामक आयोग और केन्द्र शासित प्रदेश (ट्रांसमिशन और वितरण में खुला अभिगम) विनियमन, 2009 के अनुसार, अल्प अवधि खुले अभिगम (एसटीओए) की अनुमति दी जाएगी यदि खुले अभिगम[3] के (i) निहित डिजाइन मार्जिन (ii) विद्युत प्रवाहो में परिवर्तन के कारण उपलब्ध मार्जिन और (iii) भावी भार वृद्धि को पूरा करने के लिए बनाया गया अंतर्निहित ट्रांसमिशन संचरण क्षमता के कारण उपलब्ध मार्जिन के उपयोग द्वारा समायोजित किया जा सकता है।

यूटी प्रशासन द्वारा एसटीओए की स्वीकृति के लिए अधिसूचना पद्धतियों के खण्ड 2.1.8 के अनुसार ओपन एक्सेस के लिए मंजूरी की स्वीकृति के लिए वितरण लाइसेंसी से सहमति अनिवार्य है। मई 2016 से मार्च 2017 तक की अवधि के दौरान 323 एमडब्ल्यू क्षमता विद्युत से 22 एचटी उपभोक्ताओं तक की खरीद के लिए कम्पनी ने लघु अवधि मुक्त अभिगम स्वीकृत की। एसटीओए की मंजूरी के परिणामस्वरूप उपभोक्ताओं से मांग में घटौती हुई जिन्होंने एसटीओए संस्वीकृत किया था। चूँकि उन्होंने अन्य स्रोतों से विद्युत खरीदी थी और कम्पनी को फर्म स्रोतों से विद्युत की शिड्यूलिंग को घटाना पड़ा था इसलिए आवंटित विद्युत/बिजली के अभ्यर्पण के लिए कम्पनी एनटीपीसी, एनएसपीसीएल और विद्युत मंत्रालय तक पहुँची। एनएसपीसीएल और एनटीपीसी ने आवंटित विद्युत/बिजली के अभ्यर्पण के लिए कम्पनी के अनुरोध को स्वीकारने से मना कर दिया।

संघ विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी राष्ट्रीय टैरिफ पॉलिसी समाधान (एनटीपीआर) और दलों के साथ किए गए पीपीए के अनुसार, लाइसेंसी (विद्युत खरीदार) के पास उपलब्ध अधिक विद्युत को विक्रेता द्वारा बेचा जाना अनुमत किया जा

---

[2] विद्युत निर्धारण- प्रत्येक समय ब्लॉक में आहरण के लिए डब्ल्यूआरएलडीसी द्वारा नियत विद्युत की उपलब्धता है।

[3] मुक्त अभिगम उपयोगकर्ता का अर्थ है किसी व्यक्ति को अन्तर्देशीय ट्रांसमिशन प्रणाली का उपयोग करना अथवा आपूर्ति के अपने क्षेत्र के वितरण लाइसेंसधारी के अलावा किसी अन्य व्यक्ति से विद्युत की आपूर्ति प्राप्त करने की अनुमति प्राप्त करना है।

सकता है और उत्पादक एवं विद्युत खरीदार बिक्री से उगाहे गए लाभ को साझा करेगे, यदि पीपीए में किसी संबंधित प्रावधान की अनुपस्थिति में 50:50 के अनुपात में ऐसी गैर-मांगित अधिशेष[4] (यूआरएस) विद्युत हो।

अप्रैल 2016 से मार्च 2017 की अवधि के दौरान, कम्पनी ने 3933.7 मिलियन केडब्ल्यूएच की खरीद हेतु निश्चित प्रभारों के लिए ₹ 805.40 करोड़ का व्यय किया किन्तु केवल 2,014.36 मिलियन सूचीबद्ध किया गया जिसके परिणामस्वरूप सुनिश्चित प्रभारों की कम वसूली हुई। इसलिए, एसटीओए अनुमत करने और परिणामस्वरूप कम सूची शिड्यूलिंग के कारण कम्पनी ₹ 384.32 करोड़ की राशि के निश्चित प्रभार की वसूली नहीं कर सकी। इसके परिणामस्वरूप, ₹ 17.35 करोड़ की यूआरएस आय और ₹ 40.11 करोड़ के एसटीओए प्रभारों के समायोजन के बाद ₹ 326.86 करोड़ का अपरिहार्य भुगतान हुआ।

प्रबंधन ने बताया (जून 2017) कि एसटीओए संबंधित उपभोक्ताओं की संविदा मांग के भीतर मंजूर किया गया था। मुक्त अभिगम की बाध्यता के कारण, विद्युत अधिशेष रही और इसलिए यूआरएस विद्युत की बिक्री पर सहमति दी गई थी।

उत्तर तर्कसंगत नहीं है चूँकि कम्पनी को एसटीओए देने के प्रभावों पर विचार करना और संभावित हानियों से बचने के लिए उचित कार्रवाई करनी पड़ती है।

(ई) विद्युत खरीद के लिए बिलिंग पर पूर्ण छूट का अनुप्रयोग

ईएमसीओ के साथ पीपीए (मार्च 2013) के खण्ड 8.3.6 के अनुसार विक्रेता महीने के अंतिम व्यापार दिन पर अनंतिम इनवाइस बनाएगा और यदि कम्पनी अगले महीने के पहले दिन भुगतान करती है तो कम्पनी को 2.25 *प्रतिशत* की राशि की छूट अनुमत होगी। इसके अतिरिक्त, छूट राशि महीने के पांचवे दिन तक प्रत्येक दिन 0.05 *प्रतिशत* की दर पर घटेगी। दो *प्रतिशत* की छूट दी जायेगी यदि ईएमसीओ को भुगतान अंतिम मासिक बिल की प्रस्तुती के एक दिन के भीतर किया जाता है।

[4] यूआरएस- गैर मांगित अधिशेष ऊर्जा पीपीए के अनुसार लाइसेंसी के लिए उपलब्ध ऊर्जा है किंतु कम मांग के कारण सूचीबद्ध नहीं है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि 2013-14 से 2016-17 के दौरान कम्पनी ने अंनतिम इनवायस प्राप्त नहीं किया और अगले महीने के पहले सप्ताह में विक्रेता द्वारा बनाए गए मासिक बिलो को नियत तारीख के तहत निपटाया गया और पीपीए के अनुसार केवल दो *प्रतिशत* की छूट का लाभ उठाया गया। ईएमसीओ से अनंतिम इनवायस प्राप्त करने की अनुपस्थिति में, कम्पनी को 0.25 *प्रतिशत* की अतिरिक्त छूट के कारण ₹ 5.91 करोड़ की अतिरिक्त बचत को छोड़ना पड़ा।

प्रबंधन ने उत्तर दिया (मई 2017) कि विक्रेता ने महीने की अंतिम तिथि पर अस्थायी बिल जारी नहीं किया है। तथापि, कंपनी ने विद्युत खरीद के प्रति किए गए सभी भुगतानों के लिए 100 प्रतिशत छूट ली थी और इसलिए अतिरिक्त छूट नहीं ली जा सकती थी।

प्रबंधन का उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि अधिकतम छूट लेने वाले माह के आखिरी कारोबारी दिन अस्थायी बिल सुनिश्चित करने के लिए कंपनी द्वारा कोई कदम नहीं उठाया गया था।

(एफ) पुनर्सक्रिय विद्युत प्रभारों[5] का परिहार्य भुगतान

केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (भारतीय विद्युत ग्रिड संहिता) विनियम, 2010 (ग्रिड संहिता) के विनियम 6.6(1) के अनुसार पुनर्सक्रिय विद्युत क्षतिपूर्ति आदर्शत: यथासंभव पुनर्सक्रिय विद्युत खपत के सर्वाधिक निकट स्थानीय रूप से पुनर्सक्रिय विद्युत उत्पादन करके की जानी चाहिए। यदि लाइसेंसधारी पुनर्सक्रिय विद्युत लेता है, जब ग्रिड वोल्टेज 97 और 103 प्रतिशत के बीच न हो तो डब्ल्यूआरएलडीसी द्वारा विनिर्दिष्ट दरों पर जुर्माना वसूला जाएगा। इस प्रकार, लाइसेंसधारी को ग्रिड से पुनर्सक्रिय विद्युत लेने में कमी और उचित वोल्टेज बनाए रखने के लिए उपयुक्त स्थानों पर कपैसिटर बैंक स्थापित करना चाहिए। तथापि, कंपनी ने कम वोल्टेज लाइनों में पुनर्सक्रिय विद्युत की क्षतिपूर्ति के लिए कपैसिटर बैंक स्थापित नहीं किए और 2013-14 से 2016-17 की अवधि के दौरान ₹ 6.27 करोड़ का परिहार्य पुनर्सक्रिय विद्युत प्रभार खर्च किया।

---

[5] आरईसी वीए क्षतिपूत्रि लेने हेतु लाइसेंसधारी द्वारा देय शास्तिक प्रभार है जब वोल्टेज विनिर्दिष्ट सीमा में नहीं है।

प्रबंधन ने बताया (मई 2017) कि पीजीसीआईएल को काम पर लगा कर के (सितम्बर 2014) ट्रांसमिशन और वितरण नेटवर्क का अध्ययन किया जा रहा है और उनकी रिपोर्ट के बाद कंपनी कपैसिटरों और रिएक्टरों की योजना बनाएगी।

प्रबंधन का उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि कपैसिटर बैंक लगाने का खण्ड वर्ष 2010 में सीईआरसी विनियमों में पहले ही परिकल्पित था और प्रबंधन को पश्चिम क्षेत्रीय विद्युत समिति (डब्लयूआरपीसी) द्वारा पुनर्सक्रिय विद्युत प्रभारों की वसूली को ध्यान में रखकर शीघ्र कार्रवाई करनी चाहिए थी।

4.1.2.2 मॉनीटरिंग एवं नियंत्रण

कंपनी को मीटरिंग उपकरण और विद्युत स्थापनाओं की जांच के लिए उपभोक्ता परिसरों के नियमित निरीक्षण हेतु उपयुक्त तंत्र स्थापित करके यह सुनिश्चित करना है कि विद्युत की कोई अप्राधिकृत उपयोग/चोरी नहीं हो रही है।

(ए) क्षेत्रीय निरीक्षण में कमी

संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (विद्युत आपूर्ति संहिता) विनियम 2010 के नियम 7.4 के अनुसार निर्धारित अवधि पर उपभोक्ता मीटरों (एलटी, एचटी, ईएचटी) का निरीक्षण/जांच की जानी चाहिए और केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (मीटर स्थापना एवं संचालन) विनियम 2006 के अनुसार ऐसे जांच परिणामों के अभिलेख बनाए जाने चाहिए।

वर्ष 2013-14 से 2016-17 के दौरान आयोजित किए जाने वाले 61,008 निरीक्षणों (एलटी 57,333 और एचटी/ईएचटी 3,675) के प्रति कंपनी ने केवल 190 निरीक्षण किए थे। इसके अलावा, 190 निरीक्षणों में से 186 निरीक्षण एलटी थ्री फेज और एचटी/ईएचटी उपभोक्ताओं के परिसरों में थे तथा सिंगल फेज उपभोक्ताओं के परिसरों में किए गए निरीक्षण नगण्य थे। क्षेत्रीय निरीक्षण में गिरावट 92 से 100 प्रतिशत के बीच थी।

प्रबंधन ने बताया(जून 2017) कि श्रमबल की कमी के कारण इसके लैब एवं सतर्कता विभाग द्वारा क्षेत्रीय निरीक्षण नहीं किए जा सके।

(बी) एलटी उपभोक्ताओं के खराब मीटरों को न बदलना

संयुक्त विद्युत नियामक आयोग (विद्युत आपूर्ति संहिता), विनियम 2010 के विनियम 7.3(1) के अनुसार, यदि कंपनी मीटर या मीटरिंग उपकरण को उचित रूप से कार्य करने की स्थिति में रखने में विफल रहती है, तो जब तक मीटर खराब रहेगा, उपभोक्ता उस अवधि के मीटर किराये का भुगतान करने के लिये उत्तरदायी नहीं होगा।

संशोधित विनियमों (अगस्त 2013) के अनुसार, खराब मीटर की स्थिति में, पूर्व वर्ष के उसी माह की खपत के आधार पर औसत खपत का बिल बनाया जाना है। यदि पूर्व वर्ष के उसी माह की खपत का विवरण उपलब्ध नहीं है, तो पिछले 12 महीनों के औसत के अनुसार बिल बनाया जायेगा। यह देखा गया कि खराब मीटरों के कारण, मार्च 2017 के दौरान 3,865 उपभोक्ताओं का औसत खपत के अनुसार बिल बनाया गया था। 2013-14 से 2016-17 की अवधि के दौरान, 1,15,323 बिल औसत खपत के आधार पर जारी किये गये थे, जिसमें से 55,532 बिल, 13 से 48 माह के बीच की अवधि हेतु 2,805 उपभोक्ताओं को जारी किये गये थे।

विनियम 8.1(15), के अनुसार, खराब मीटरों को शीघ्र बदलना चाहिये। चूंकि बिलिंग प्रणाली में मीटर बदलने से संबंधित कोई भी डाटा उपलब्ध नहीं है इसलिए लेखापरीक्षा सुनिश्चित नहीं कर सका कि क्या जानकारी में लाये गये खराब मीटरों को उचित समय के अंदर बदला गया था। इसके अतिरिक्त, विनियमों के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुये, कंपनी ने 1,12,640 बिलों में जिनमें मीटर खराब थे मीटर किराये के रूप में ₹ 16 लाख की वसूली की।

प्रबंधन ने बताया (अगस्त 2017) कि कंपनी मीटरों की खरीद की प्रक्रिया कर रही है और इस वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक मीटर बदलने का कार्य पूरा कर लेगी। इसके अतिरिक्त मीटर खराब रहने की अविध के दौरान मीटर किराये की वसूली न करने हेतु सॉफ्टवेयर में आवश्यक शर्तें शामिल की जायेंगी।

यद्यपि प्रबंधन ने इंगित किया कि वह सुधारात्मक कदम उठा रहा है परन्तु तथ्य यह है कि 2013-14 से 2016-17 की अवधि के दौरान 12 महीनों से अधिक के लिये औसत खपत के अनुसार 2,805 उपभोक्ताओं के बिल बनाये गये थे।

(सी) विद्युत कारक[6] के संबंध में निर्धारित सीमाओं के पालन की निगरानी न होना

संयुक्त विद्युत नियामक आयोग (विद्युत आपूर्ति कोड) विनियम 2010, के अनुसार एचटी/ईएचटी उपभोक्ताओं को 90 प्रतिशत और उससे अधिक का विद्युत कारक (पीएफ) बनाये रखा जाना चाहिये। 2015-16 और 2016-17 में एचटी/ईएचटी उपभोक्ताओं को 95 प्रतिशत से अधिक पीएफ होने पर, पीएफ में प्रत्येक एक प्रतिशत वृद्धि के लिये एक प्रतिशत (वर्ष 2013-14 और 2014-15 के लिये 0.50 प्रतिशत) की दर पर पीएफ इंसेंटिव का भुगतान किया जाना था और यदि पीएफ 90 प्रतिशत से कम हो जाये तो समान दर पर जुर्माना वसूल किया जाता है। यदि औसत बिजली कारक लगातार तीन महीनों तक 70 प्रतिशत (कम) से कम हो जाये, तो कंपनी एचटी उपभोक्ता सर्विस कनेक्शन कटवा सकती है। एचटी/ईएचटी और एलटी उपभोक्ताओं की बिलिंग के रिकॉर्ड/डाटा की संवीक्षा से निम्नलिखित का पता लगा:

(i) 194 एचटी/ईएचटी उपभोक्ताओं ने 2013-14 से 2016-17 की अवधि के दौरान लगातार तीन महीनों तक 70 प्रतिशत (कम) से कम के विद्युत कारक दर्ज किये। नौ उपभोक्ताओं के मामले में, अप्रैल 2013 और मार्च 2017 के बीच विद्युत कारक लगातार 70 प्रतिशत से कम दर्ज किया गया। कंपनी ने इन कनेक्शनों को काटने के लिये कोई कार्रवाई नहीं की। इसके अतिरिक्त, कंपनी ने पीएफ 70 प्रतिशत से कम होने के लिये इन उपभोक्ताओं से किसी भी दंड प्रभार की वसूली नहीं की। कनेक्शन न काटने के परिणामस्वरूप विनियम का अननुपालन जारी रहा और जुर्माने की वसूली न होने के साथ-साथ उपभोक्ताओं को अनुचित लाभ मिला।

प्रबंधन ने बताया (अगस्त 2017) कि फील्ड स्टॉफ की कमी तथा कार्य की अधिकता के कारण, एचटी उपभोक्ताओं जिनका पीएफ 70 प्रतिशत से कम था, के संबंध में कोई वियोजन नहीं किए गए थे।

(ii) विनियम 4.6 (2) (ए) के अनुसार, 3 हॉर्स पावर तथा उससे अधिक की क्षमता की इंडक्शन मोटर के साथ एलटी संस्थापन की आपूर्ति तब तक

---

[6] विद्युत कारक का अर्थ है औसत मासिक विद्युत कारक और माह के दौरान कुल किलोवाट घंटे के लिये आपूर्तित कुल किलोवोल्ट एम्पेयर घंटे (केवीएएच) की प्रतिशतता के रूप में बताया गया; अनुपात को दो दशमलव तक पूर्ण किया जाता है।

नहीं की जानी थी जब तक कि लॉ टेंशन शन्ट केपेसिटर को 90 प्रतिशत से कम न होने वाले विद्युत कारक को सुनिश्चित करने के लिए संस्थापित न किया गया हो। डाटा के विश्लेषण से पता चला कि शंट केपेसिटर को तीन एचपी से अधिक जोड़े गए लोड के साथ 123 एलटी उपभोक्ताओं के लिए संस्थापित नहीं किया गया था। इसके अलावा, हालांकि लाइसेंसधारक (कम्पनी) के पास केपेसिटर को संस्थापित करने तथा लागत की वसूली करने का अधिकार है तथापि, कम्पनी ने केपेसिटर को संस्थापित करने के लिए कोई कार्रवाई आरम्भ नहीं किया गया।

प्रबंधन ने उत्तर दिया (अगस्त 2017) कि एलटी उपभोक्ताओं के मामले में केपेसिटर का संस्थापन करना अनिवार्य है तथा केपेसिटर का संस्थापन कनेक्शन रिलीज करने के समय किया जा रहा था।

तथ्य यह रहा है कि 123 एलटी उपभोक्ताओं के पास संस्थापित शंट केपेसिटर्स नहीं थे।

(डी) प्रतिभूति जमा के संबंध में जेईआरसी विनियम का अननुपालन

संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (विद्युत आपूर्ति कोड) विनियम 2010 के खण्ड 6.10 के अनुसार, कम्पनी कृषि उपभोक्ताओं से तीन माह तथा मौसमी और अन्य उपभोक्ताओं से दो माह के लिए अनुमानित खपत के बराबर विद्युत प्रभारों के लिए उपभोक्ताओं से प्रतिभूति जमा संग्रहीत करती है। एचटी/ईएचटी तथा लॉ टेंशन उपभोक्ताओं के लिए क्रमश: पिछले छ: माह तथा बारह माह के दौरान खपत के आधार पर इसकी अर्द्धवार्षिक तथा वार्षिक समीक्षा की जाती है तथा अतिरिक्त प्रतिभूति जमा को लाईसेंसधारक द्वारा रखी गई प्रतिभूति जमा की राशि के 20 प्रतिशत से अधिक विचलनों के लिए संग्रहीत/वापिस दिया जाना है। कम्पनी द्वारा उपलब्ध कराए गए डाटा की संवीक्षा से पता चला कि:

(i) अप्रैल 2016 से सितम्बर 2016 तक बिलों के आधार पर संगणित ₹ 7.61 करोड़ की राशि के 91 एचटी/ईएचटी उपभोक्ताओं के उपभोक्ता डाटा बेस में कोई एसडी उपलब्ध नहीं थी। इसके अलावा, इसी अवधि की खपत के अनुसार, 73 एचटी/ईएचटी उपभोक्ता जो ₹ 10.29 करोड़ के थे, जिनके संबंध में एसडी में कमी हुई थी।

(ii) कंपनी द्वारा 42,762 एलटी उपभोक्ताओं के लिए डाटाबेस में डाटा को अधिकृत नहीं किया गया था। अत: लेखापरीक्षा निर्धारित एसडी के संग्रह को सत्यापित नहीं कर सका।

(iii) मीटर संख्या और उपभोक्ता संख्या के लिए उपभोक्ता-वार ब्यौरे को ₹ 16.58 करोड़ की सुरक्षा जमा राशि के साथ मिलान नहीं किया गया जिसे यूटी प्रशासन से संग्रहीत किया गया था। इस डाटा के अभाव में, कंपनी संबंधित उपभोक्ताओं को एसडी पर ब्याज का अंतरण नहीं कर सकी।

(iv) निर्धारित प्रारूप में जैसे नकद, चैक/ड्राफ्ट और बैंक गारंटी के स्थान पर 720 एचटी उपभोक्ताओं से जमा प्राप्तियों के रूप में ₹ 40.21 करोड़ सुरक्षा जमा राशि स्वीकार की गई थी।

प्रबंधन ने बताया (अगस्त 2017) कि कंपनी ने कनेक्शन के रिलीज के समय साथ ही साथ अतिरिक्त लोड के रिलीज के समय उपभोक्ताओं से सुरक्षा जमा राशि प्राप्त की और एचटी उपभोक्ताओं की नियमित समीक्षा की जाती है और अतिरिक्त सुरक्षा जमा राशि संग्रहीत की जा रही है। एलटी उपभोक्ताओं के मामलें में समीक्षा संभव नहीं थी क्योंकि डाटाबेस उपलब्ध नहीं था।

प्रबंधन का उत्तर कि एलटी उपभोक्ता की समीक्षा संभव नहीं थी डाटा संग्रहण और मिलान में कमी दर्शाता है। इसके अलावा, प्रबंधन ने अन्य कमियों अर्थात डाटा का प्रग्रहण न करना, सावधि जमा प्राप्तियों के रूप में सुरक्षा जमा राशि का लेना और लेखाकरण न करने और यूटी प्रशासन से सुरक्षा जमा राशि प्राप्तियों के मिलान न करने का समाधन नहीं किया था।

4.1.3 निष्कर्ष

कंपनी अपनी विद्युत जरूरतों का उचित मूल्यांकन सुनिश्चित करने में विफल हो गई जिसके परिणामस्वरूप विद्युत के लिए पीपीए करना हुआ जो कि अपेक्षित नहीं था इसमें 2013-14 और 2016-17 के बीच निर्धारित प्रभारों के भुगतान के साथ-साथ ₹ 2,754.45 करोड़ की विद्युत की खरीद शामिल हैं। इसके अलावा पीपीए के खराब कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप अपरिहार्य अथवा ठेकागत क्षमता को गलत अपनाने, अल्पकालिक अभिगम की अनुचित स्वीकृति, क्षमता प्रभारों, प्रति क्रियाशील उर्जा प्रभारों का अपरिहार्य भुगतान और छूटों का लाभ न उठाने के कारण कुल ₹ 371.30 करोड़ का अनियमित व्यय हुआ। इसके अतिरिक्त यह ₹ 8.63 करोड़ की शास्ति वसूल करने में विफल हुए।

लेखापरीक्षा निष्कर्षों की दृष्टि में, प्रबंधन के साथ-साथ संघ राज्य क्षेत्र प्रशासक को पीपीए करने की प्रक्रिया एवं उसके कार्यान्वयन प्रक्रिया की समीक्षा करनी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि ऐसे अपरिहार्य व्यय की संभावनाएं दूर हो गयी है तथा जहाँ जरुरी है जिम्मेदारियाँ तय कर दी गयी हैं।

लेखापरीक्षा आपत्तियां अक्तूबर 2017 में दादरा एवं नागर हवेली के संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन को सूचित की गई थीं, उनका उत्तर प्रतीक्षित था (दिसम्बर 2017)।

नई दिल्ली **(ममता कुन्द्रा)**

दिनांक: 22 फरवरी 2018 **महानिदेशक लेखापरीक्षा, केन्द्रीय व्यय**

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली **(राजीव महर्षि)**

दिनांक: 23 फरवरी 2018 **भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक**